न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/220/2022	2022/351	17.08.2022	07.11.2022

–उनवान–

1. प्रेम देवी पत्नी महेन्द्र सिंह जोगी जाति जोगी निवासी ग्राम दोखेरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

–प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाश पुत्र रिछपाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
2. चन्द्रकान्त पुत्र ईश्वरलाल उर्फ बाबुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
3. पूनम पुत्री ईश्वरलाल उर्फ बाबुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
4. राजेश पुत्र ईश्वरलाल उर्फ बाबुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
5. सरोज पुत्री ईश्वरलाल उर्फ बाबुलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
6. बसन्त पुत्र पुष्पा जाति ब्राह्मण निवासी ओम अपार्टमेंट गीतानगर भवेन्द्र जिला ठाने मुंबई महाराष्ट्र।
7. रमेश पुत्र पुष्पा जाति ब्राह्मण निवासी ओम अपार्टमेंट गीतानगर भवेन्द्र जिला ठाने मुंबई महाराष्ट्र।
8. ललित कुमार पुत्र पुष्पा जाति ब्राह्मण निवासी ओम अपार्टमेंट गीतानगर भवेन्द्र जिला ठाने मुंबई महाराष्ट्र।
9. शकुन्तला पुत्री पुष्पा जाति ब्राह्मण निवासी ओम अपार्टमेंट गीतानगर भवेन्द्र जिला ठाने मुंबई महाराष्ट्र।
10. उमेश पुत्र बुधराम जाति जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
11. उर्मिला पुत्री शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
12. हरिप्रसाद पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
13. कृष्ण कुमार पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
14. महेशचन्द पुत्र घीसालाल जाति जोगी निवासी बुचाहेड़ा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0।
15. जगदीश प्रसाद पुत्र इन्दमणी जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
16. लालचन्द पुत्र इन्दमणी जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
17. लालमणी पुत्र इन्दमणी जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
18. हजारीलाल पुत्र इन्दमणी जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
19. सत्यनारायण पुत्र इन्दमणी जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
20. विजय कुमार पुत्र जानकीलाल जाति ब्राह्मण निवासी नाघोड़ी तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
21. पवन पुत्र लक्ष्मण प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी कोलीला तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
22. उपपंजीयक नीमराना जिला अलवर राज0।
23. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर राज0।
24. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नीमराना जरिये शाखा प्रबंधक।

–अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर, अलवर

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01.श्री सुनील कुमार –वकील प्रार्थीया

02.श्री भीमसिंह यादव –वकील अप्रार्थी नं 1 लगा0 10 व 15 लगा0 21

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद उनवान प्रेम देवी बनाम कैलाश को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मुंतकिल के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 138 रकबा 0.44 है0, 139 रकबा 0.21 है0, 140 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम माजराकाठ तहसील नीमराना जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजीयात् में से 120/9700 भाग की मिन प्रार्थीया मुताबिक रजि0 बयनामा दिनांक 03.11.2017 के बोनाफाईड परचेजर की हैसियत से मालिक काबिज चली आ रही है तथा मुताबिक जमाबंदी संवत् 2073–76 में दर्ज अंकन अनुसार अप्रार्थी सं0 1 लगा0 21 हिस्सा अनुसार दर्ज मालिक खातेदार सहकाश्तकार है। अप्रार्थी सं0 10 के नाम से 1/18 भाग में से 120 वर्गमीटर भूमि यानि 120/9700 भाग मिन प्रार्थी द्वारा जरिये बयनामा खरीद किया गया। उक्त आराजी मौके पर अवट है। उक्त आराजी के सम्पूर्ण भाग में मिन प्रार्थीया का इंच–इंच पर हित निहित है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 21 द्वारा जबरन कब्जा बताकर बिना तकसीम किये दीगर व्यक्ति को बेचना चाह रहे है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय में दावे के साथ प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट पेश किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण 27.07.2022 को दर्ज कर आगामी पेशी 22.09.2022 फरमा दी गयी। दिनांक 28.07.2022 को अप्रार्थी की ओर से हाजिर होकर मुकदमा में नजदीक की पेशी लेने हेतु प्रा0पत्र पेश किया गया। जिस पर उक्त प्रा0पत्र को स्वीकार कर दि0 22.09.2022 के स्थान पर दि0 08.08.2022 कर दी गयी। दिनांक 08.08.2022 को पत्रावली पर अप्रार्थी सं0 1 लगा0 11 व 13 लगा0 21 की ओर से वकालतनामा ले लिया गया तथा दर0 आदेश 07 नियम 11 जा0दि0 भी प्राप्त की। अगली तारीख 16.08.2022 नियत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सूचनार्थ नोटिस जारी किया। लेकिन यह नोटिस प्रार्थीया को प्राप्त नहीं हुआ। इसके उपरांत अगली तारीख पेशी दो दिन बाद यानि दि0 18.08.2022 नियत की गयी। अदालत द्वारा जारी नोटिस में काट–छांट कर पेशी दि0 18.08.2022 को तामील कुनन्दा के प्रार्थी के अधिवक्ता को प्रेषित की गयी। अप्रार्थीगण दबाव डालकर अपने पक्ष में निर्णय कराना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक पर रखकर अप्रार्थीगण को लाभ पहुचाने की मंशा से मनमानी करते हुए प्रार्थीया को बिना सुने नजदीकी तारीख नियत कर वाद को खारिज करने की मंशा से अप्रार्थीगण की ओर से पेश प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दि0 का जल्द से जल्द से निस्तारण करने की फिराक में है। किसी भी स्थिति में मिन प्रार्थीया को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील वकील अप्रार्थी नं 1 लगा0 10 व 15 लगा0 21 ने बहस में निवेदन किया कि विचाराधीन मुंतकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराना द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया कि राजस्व वाद सं0 311/2022 प्रेम देवी बनाम कैलाशचंद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। प्रकरण में छोटी तारीख पेशी नियत करने के आवेदन पत्र पर प्रतिपक्ष के वकील तामील होने के उपरांत ही सुनवाई की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा पेश समस्त तथ्य मनमाने तौर पर दर्ज किये गये है। प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी पेशी पक्षकारान् के अधिवक्तागण की उपस्थिति में नियत की जाती है। समस्त तथ्य मनगढंत अंकित किये है। उक्त प्रकरण को यदि किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलक्टर, अलवर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा पेश समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन व मनन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा भी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर अपनी सहमती जताई गई है। वकील अप्रार्थी की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रेम देवी बनाम कैलाशचंद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई कर प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2022 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)